

(ग) 24-5-1971 तक पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय तथा त्रिपुरा के सीमावर्ती राज्यों के विभिन्न राहत शिविरों में 18,19,601 व्यक्ति थे ।

(घ) शरणार्थियों को पश्चिम बंगाल में प्रति दिन प्रति व्यक्ति एक रुपये के मूल्य और आसाम, मेघालय तथा त्रिपुरा में प्रति दिन प्रति व्यक्ति 1.10 रुपये के मूल्य की खाद्य सामग्री देने की अनुमति दी गई है। काम चलाऊ आश्रय के अतिरिक्त, चिकित्सा सहायता देने की व्यवस्था भी कर दी गई है और महामारियों के नियन्त्रण के लिए भी कदम उठाए गए हैं ।

(ङ) से (छ) : मानवता के आधार पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियों तथा अन्य सम्बन्धित संगठनों से सहायता के लिए अनुरोध किया गया था । भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यह भी कहा है कि वे ऐसी व्यवस्था कराएं जिससे ये शरणार्थी जो भारत के लिए विदेशी हैं, अपने मूल देश को लौट जाएं । अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान सरकार को यह भी समझाना चाहिए कि वह ऐसी स्थितियां पैदा करे जिनसे इनका लौटना संभव हो सके ।

†[THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION / श्रम और पुनर्वास मंत्री (SHRI R.K.KHADILKAR): (a) A total number of 35.57 lakh refugees have entered India upto 24.5.1971 following civil strike in East Bengal. Religion-wise figures have not been maintained.

(b) The Government have no information.

(c) Upto 24.5.71, 18,19,601 persons were in different relief camps in the border States of West Bengal, Assam Meghalaya and Tripura.

(d) The refugees are allowed food-stuff worth Re. 1 per head per day in

West Bengal and Rs. 1.10 per head per day in Assam, Meghalaya and Tripura. In addition to improvised shelter, arrangements are also made to provide medical assistance and steps taken to control epidemics.

(e) to (g). The Secretary General of the United Nations was approached with a request for aid on humanitarian grounds for the refugees from UN system and other related organisations. The Government of India have also stressed that it is for the international community to ensure that these refugees who are foreigners in India should go back to the country of their origin and also the international community should persuade the Government of Pakistan to create conditions which would make this possible.]

### बेकारी भत्ता

\* 127. श्री निरंजन वर्मा ।

श्री लाल आडवाणी :

श्री सुन्दर सिंह भंडारी :

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री मान सिंह वर्मा :

श्री ना० कृ० शेजवलकर :

क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार लोगों को भत्ता देने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां तो उसका व्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

### †[UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

\* 127. SHRI NIRANJAN VARMA:  
SHRI LAL K. ADVANI:  
SHRI SUNDAR SINGH  
BHANDARI:  
SHRI J.P. YADAV:

SHRI MAN SINGH  
VARMA :  
SHRI N. K. SHEJWAL-  
KAR

Will the Minister of LABOUR and REHABILITATION/श्रम और पुनर्वासि मंत्री be pleased to state:

(a) whether any scheme has been formulated for granting an allowance to the unemployed; and

(b) if so, what are the details thereof and if not, the reason therefor?

श्रम और पुनर्वासि मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

†[ THE MINISTER OF LABOUR AND REHABILITATION/श्रम और पुनर्वासि मंत्री (SHRI R.K. KHADILKAR (a) No.

(b) Does not arise.]

PURCHASE OF SILLIMANITE BY BOKARO STEEL PROJECT

\*128. DR. SALIG RAM:  
SHRI KRISHAN KANT:  
SHRI RAJENDRA PARTAP  
SINHA:  
SHRI ARJUN ARORA:

Will The Minister of STEEL AND MINES/इस्पात और खान मंत्री be pleased to state:

(a) whether Bokaro Steel Project propose to purchase Assam sillimanite situated in Bihar;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) the details of the purchase?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES / इस्पात और खान मंत्री (SHRI S. MOHANKUMAR-AMANGALAM) : (a) No decision has been taken by Bokaro Management in this regard.

(b) and (c) Do not arise.

सहकारी समितियां

\*129. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में सहकारी समितियों द्वारा दिये गये ऋणों की राशि कितनी-कितनी है;

(ख) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, बंगाल, आसाम और उड़ीसा राज्यों में दिये गये इस प्रकार के ऋण का अनुपात कितना कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि यद्यपि यह कहा गया है कि इससे अपेक्षाकृत कमजोर राज्यों को लाभ होता चाहिए किन्तु लाभ हमेशा सम्पन्न राज्यों को ही हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसमें किसी प्रकार का सुधार लाने की योजना का व्यौरा क्या है ?

†[COOPERATIVE SOCIETIES

\*129. SHRI J. P. YADAV: Will the Minister of AGRICULTURE/कृषि मंत्री be pleased to state:

(a) the amount of loans given by the co-operative societies separately in each of the States;

(b) the percentage of such loan in the States of Maharashtra, Tamil Nadu Gujarat, Bihar, Bengal, Assam and Orissa separately;

(c) whether it is a fact that though it has been stated that the weaker State